अपील सूचना अधिकार संख्या 138/2016 अनवानी जयसिंह बेनीवाल सेवानिवृत तहसीलदार जरिये ऋषिराज सिंह एडवोकेट चैम्बर नं. 5 कोर्ट कैम्पस हनुमानगढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय सिंह बेनीवाल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय सिंह बेनीवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.04.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> 1. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(ख) फोर्थ,फिफथ में अपने कार्यो के निर्वहण के लिए इसके द्वारा स्थापित मानक इसके नियत्रण के अधीन या इसके द्वारा धारित या इसके कार्यो के निर्वहन के लिए इसके कर्मचारियो द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना देना लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं है। राजस्व अभिलेख एवंम मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र को नष्टीकरण के नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका है, उसकी प्रमाणित प्रति दी जावे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय रिकार्ड श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र सं0 11 दिनांक 21.04.17 की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित करते प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित किया हैः–

क्र.सं.	चाही गई सूचना	अपीलोत्तर
1	राजस्व अभिलेख एवं मूल निवास जाति प्रमाण पत्र के नष्टीकरण के नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका की प्रमाणित प्रति	राजस्व अभिलेख एवं मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के नष्टीकरण के नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका यद्यपि आवेदक द्वारा सशुल्क बाजार से क्रय की जा सकती है अथवा इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सूचना का अधिकार अधिकार का सम्मान करते हुए उसे सूचना प्रदत्त की जा चुकी है।
2	अनुतोष चाहा है कि सूचना पर होने वाले व्यय की सूचना दी जावे।	सूचना प्रदत की जा चुकी है।

विभागीय लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय रिकार्ड श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन की प्रति के साथ अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर अपीलार्थी से भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने के फलस्वरूप अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय रिकार्ड, श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर